

स्वातंत्र्य दर्ज कराई है। उक्त वर्णित शर्तें  
संबन्धित स्वतंत्रता शर्तें हैं। तथा शर्तों का विवेक  
विभाजन नहीं हुआ है। चारा 53 के प्रावधान  
अनुसार वाडी एवं परिवारी अपने राज्य  
शर्तों में दर्ज दिखाए एवं कृष्णा के अनुसार  
शर्तों का विभाजन करवाने के आदेशों के

आदेश

वाडीगत का वाड पत्र लीटर दिया जाता  
है तथा प्राथमिक डिडी इस आधार की ही  
जाती है कि गांव टोही की सरहद में विद्यमान  
शर्तें क्र. 50 999 रकबा 1.5900 है। का  
वाडीगत एवं परिवारी स. 1 लॉ. 12 के मध्य  
राजस्व शर्तों में दर्ज दिखाए एवं कृष्णा  
के अनुसार शर्तों का प्रावधान रखते  
इसे विवेक विभाजन दिये जाने का आदेश  
दिया जाता है। तदनुसार तत्कालीन उच्चपुखारी  
उच्च पक्षपात की उपस्थिति में विभाजन  
प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नमूना के दो  
प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।  
डिडी पत्र जारी है।

पत्रावली क्लक अकार होकर नमूना के  
कॉपी तथा कॉपील क्लक है।

निर्णय आज दिनांक 21-6-18 को कृष्णा  
कोर्ट टोही में सुनया गया।

19/6/18  
रविशंकर अधिकारी  
रविशंकरादी (सुपरी)